तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 773/2018 अनवान चीमाराम बनाम राणाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11/8/18	वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से प्रस्तुत जवाब सामिल मिसल हो। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को आज रेकर्ड पर ली गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1525/365 रकबा 86.00 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता व पति प्रहलादराम ने संयुक्त रूप से पूर्व काबिज खातेदार घेरवचन्द पुत्र श्री बादरमल जाति ओसवाल से राशि 1000/– रू. प्रतिफल अदा कर क्रय की थी। क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि का बाहमी तौर पर बंटवाड़ा प्रार्थी व उसके भाई प्रहलादराम द्वारा किया गया था। वादग्रस्त भूमि जो लम्बाई में थी, के उतरी भाग की भूमि प्रार्थी को एवं दक्षिणी दिशा वाले भाग की भूमि प्रार्थी प्रहलादराम ने अपने हिस्से में रखी थी। उसी अनुसार काबिज है। मौखिक बंटवाड़ा संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि में पक्षकार के हिस्से खुले हुए नही होने के कारण सेढों को लेकर विवाद रहता है। प्रार्थी को उसके कब्जे की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बल पूर्वक बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की और से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पंजीबद्ध बेचान द्वारा क्रय की गई है। अप्रार्थीगण तत्समय नाबालिग होने से बंटवाड़ा किस प्रकार हुआ इसकी जानकारी उन्हे नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का वादग्रस्त भूमि पर 1/2–1/2 हिस्सा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया है।	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन संख्या 773/2018 अनवान चीमाराम बनाम राणाराम

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी व उसके पुत्रों की मौके पर ढाणियाँ बनी हुई है। उससे लगती हुई भूमि लेना चाहता है। अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर खाली है, जिसमे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया गया है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा लगती भूमि से किया जाता है तो परिवार का आपस में कोई विवाद भविष्य में नही होगा।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जा काश्त में बलपूर्वक कब्जा नही कर रहे है और न ही ऐसा करने का उनका कोई इरादा है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को इस बात की सन्तुष्टी है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 05 द्वारा प्रार्थी की कब्जासुद्धा भूमि में बलपूर्वक हस्तक्षेप कर उसे बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा (वाद के निर्णय तक) प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1525/365 रकबा 86.00 बीघा भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner